FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम..........

लुणाराम बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 222/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/9/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणधाराम सिआग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/10/18 को पेश हो।	
29/10/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/12/18 को पेश हो।	
19/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 7 व 9 के सम्मन पर मौत होना लिखा गया है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पे पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/01/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

क्रमांक/वाद/201
राजस्व आवेदन सं

03/01/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या- 7 व 9 की फौतगी इत्तला व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र मय संशोधित रिकार्ड व कायम मुकाम के नोटिस पेश किये गये। कायम मुकाम रिकर्ड पर लिये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। कायम मुकाम के नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22/01/19 को पेश हो।

22/01/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या- 7 व 9 के कायम मुकाम के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विप्रार्थी संख्या- 7 व 9 के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या- 7/1 से 7/3 व 9/1 से 9/4 बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/02/19 को पेश हो।

04/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेयम स्थापित करवाने आवश्यक है क्योंकी प्रार्थी और विप्रार्थीगणों के मध्य मेढो को लेकर विवाद रहता है इसलिए नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोई भी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेयमबन्दी मौके पर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 07 दिनांकः– 4/02/2019

राजस्व आवेदन संख्या – 222/18

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. श्री लुणाराम पुत्र पारूराम जाति मेगवाल निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री मूलाराम पुत्र अणदाराम वगैरा 26 निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा चारणेत पटवार हल्का सवाउ मूलराज के मूल खेत खसरा नम्बर 40, 85 रकबा क्रमशः 78.08, 61.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पंर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 08-012 दिनांकः– 4/02/2019

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाउ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री लुणाराम पुत्र पारूराम।
4. विप्रार्थीगण श्री मूलाराम पुत्र अणदाराम वगैरा 26।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner